

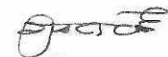


कार्यालय आदेश

क्रमांक : मा.शि.बो./आई.टी. शाखा/2026/370 & 334 दिनांक :- 11-3-2026

वर्ष 2025-27 की सभी परीक्षाओं हेतु प्री. प्रिन्टेड कम्प्यूटर स्टेशनरी के अनुमोदन एवं मुद्रण हेतु वांछित संशोधन किए जाने बाबत आयोजित बैठक (बडी क्रय समिति) दिनांक 01/04/2025 में अनुमोदित संशोधनों के अनुक्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष 2025-2026 से सभी परीक्षाओं के जारी किए जाने वाले दस्तावेजों में महिला अभ्यर्थियों के नाम से पूर्व Ms./कुमारी शब्दों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


सचिव